



# उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में वर्ष 2015—16 में लेबर कॉन्ट्रैक्टर (P.R.W.) पंजीकरण हेतु आवेदन

CATEGORY:.....

- 'A' RCC & Civil Work
- 'B' Shuttering Work
- 'C' Reinforcement Work
- 'D' Plumbing & Sanitary Work
- 'E' Stone & Tile work
- 'F' Water proofing Work
- 'G' Painting & Polishing Work

यहाँ स्वप्रमाणित  
पासपोर्ट साईज फोटो  
चिपकाएँ

1. फर्म का नाम एवं पता .....
2. फर्म के स्वामी का नाम/स्थायी पता .....
- (पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान .....
- पत्र/आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान .....
- पत्र में से किसी एक की प्रति इत्यादि) .....
3. वर्तमान पता:— .....
4. आयकर पैन कार्ड नम्बर एवं क्लीरेन्स .....
- प्रमाण पत्र सहित .....
5. चरित्र पमाण पत्र .....(संलग्न करें).....
6. श्रम विभाग में फर्म का पंजीयन .....
7. श्रम विभाग के सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में श्रमिकों .....
- की सुविधा हेतु पंजीयन .....
8. रू0 20000.00 की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. ....
- जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 .....
- के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow .....
- हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो .....
- (मूलरूप में संलग्न करें) .....

दिनांक:—

आवेदक के हस्ताक्षर

**उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, में वर्ष 2015-16 में लेबर कान्ट्रेक्टर  
(पी0आर0डब्लू0) पंजीकरण किये जाने के नियम व शर्तें:-**

1. सामग्री/मद का विभाजन निम्न श्रेणी में किया गया है:-  
'ए' :- आर0सी0सी0 एवं सिविल वर्क।  
'बी' :- शटरिंग वर्क।  
'सी' :- रेनफोर्समेन्ट वर्क।  
'डी' :- प्लम्बिंग एवं सेनेट्रीव र्क।  
'ई' :- स्टोन एव टाइल वर्क।  
'एफ' :- वाटर प्रुफिंग वर्क।  
'जी' :- पेन्टिंग एवं पॉलिशिंग वर्क।
2. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा।
3. सभी कान्ट्रेक्टर जो पी0आर0डब्लू0 हेतु उत्सुक हैं, व्यापार कर और आयकर में पंजीकृत होने चाहिए एवं उन्हें व्यापार कर में पंजीकृत तथा आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य (इनकम टैक्स रिटर्न) प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. कान्ट्रेक्टर जिस श्रेणी में पंजीकृत किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, उस कार्य को करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कम से कम निर्माण निगम की दो इकाईयाँ अथवा निर्माण निगम से बाहर दो विभागों द्वारा निर्गत हो संलग्न करना होगा।
5. कान्ट्रेक्टर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए साथ ही लेबर सेस का भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
6. फर्म को एक नोटरी सर्टीफाइड भापथ पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, तथा संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
7. सूचीबद्धता के लिए कान्ट्रेक्टर को जिलाधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. (प्रत्येक श्रेणी) हेतु धरोहर धनराशि रू0 20000.00 (रूपये बीस हजार मात्र), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 के रूप में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया गया हो "उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पक्ष में जमा करना होगा।
9. आवेदन प्रपत्र सभी संलग्नकों के साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के किसी इकाई प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित होना आवश्यक होगा।
10. पंजीकरण 1 वर्ष के वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 1 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
11. पूर्व पंजीकृत/सूचीबद्ध कान्ट्रेक्टर को उपरोक्तानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक कराना होगा।
12. कान्ट्रेक्टर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की िकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. किसी की विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।